न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश

बीकानेर।

आभियुक्त का नाम..... पिता का नाम ..... जाति ..... उम्र ..... निवासी .....

...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान

....अप्रार्थी

बमुकदमा स्टेट बनाम .....
अन्तर्गत धारा .....आईपीसी
एफआईआर नम्बर ...../2024 पुलिस थाना .....

प्रार्थना पत्र जमानत अन्तर्गत धारा 439 दप्रस

माननीय महोदय,

प्रार्थी की ओर जमानत का प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आधारों पर पेश है:—

1. यह कि प्रार्थी को पुलिस थाना ..... बीकानेर द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। तब से प्रार्थी न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है।
2. यह कि प्रार्थी के खिलाफ यह मुकदमा बिलकुल झूठा एवं फर्जी बनाया गया है, प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया। प्रार्थी से किसी तरह की कोई भी बरामदगी नहीं है।
3. यह कि प्रार्थी श्रीमान जी द्वारा आदेशित माकुल जमानत मुकचलके निष्पादित करने के लिए हमेशा तैयार व तत्पर है।

4. यह कि प्रार्थी के विरूद्ध जुर्म भी इस प्रकार का नही है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का प्रावधान हो।
5. यह कि प्रार्थी परिवादी प्रार्थी से रंजिश रखता है। इसके चलते परिवादी ने सोच समझकर साजिश रचकर स्वयं झूठे साक्ष्यों का निर्माण कर प्रार्थी के विरूद्ध यह झूठा मुकदमा किया है।
6. यह कि प्रार्थी का जमानत धारा 437 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक ..... को खारिज फरमाया जा चुका है।
7. यह कि प्रार्थी श्रीमान जी के इलाके हाजा का रहने वाला है, जहां उसके व उसके परिवार की चल अचल सम्पत्ति मौजूद है, भागने का प्रश्न ही नहीं है।
8. यह कि प्रार्थी गरीब नौजवान व्यक्ति है जो काफी दिनों से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है जिसके उपर अपने परिवार के भरण पोषण का उत्तरदायित्व है। प्रार्थी के अधिक दिन न्यायिक अभिरक्षा में रहने से प्रार्थी के स्वयं भविष्य तथा पारिवारिक की आर्थिक स्थिति व परिवार की सामाजिक सांख पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पडेगा।

अतः जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी को जमानतत पर रिहा किये जाने के आदेश प्रदान करे।

दिनांकः—

प्रार्थी अभियुक्त

.....
.....
.....

प्रमाण पत्र

1. यह कि प्रार्थी अभियुक्त का धारा 439 दप्रस का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।
2. यह कि इससे पूर्व प्रार्थी अभियुक्त के द्वारा धारा 438, 439 दप्रस का व अन्य कोई आवेदन माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में लंबित नहीं है।